


छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर



:- 0 आदेश 0:-

नया रायपुर, दिनांक 27.11.2014,

क्रमांक एफ 17-7/2014/34-2/3256 मुख्य सचिव, छ.ग. शासन के निर्देश क्रमांक 538/2010, दिनांक 27.04.2010 में उल्लेखित निर्देशों के परिपेक्ष्य में राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य में अधोसंरचना से संबंधित विभिन्न निर्माण व भू-भराव कार्यों में फ्लाइं ऐश के उपयोग एवं प्रदेश के पर्यावरण की बेहतरी तथा प्रदेश व्यापी प्रदूषण समस्या पर प्रभावी नियंत्रण हेतु विभागीय स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन करता है :-

01. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग - अध्यक्ष
02. समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग - सदस्य
03. समस्त अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग - सदस्य
04. संचालक, राज्य जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन - सदस्य सचिव

उक्त समिति छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा समय-समय जारी अधिसूचना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार विभागीय कार्यों की समीक्षा कर फ्लाइं ऐश उपयोग के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट से विभागीय सचिव को अवगत करायगी तथा मुख्य सचिव, छ.ग. शासन के निर्देशानुसार विभागीय सचिव, वार्षिक रिपोर्ट से पर्यावरण विभाग छत्तीसगढ़ शासन को अवगत करायेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

स्थी। —
(अब्बास खान)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

रायपुर, दिनांक 27.11.2014.

पृ.क्रमांक एफ 17-7/2014/34-2/3256
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक मान. मंत्रीजी, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नया रायपुर।
2. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन, नया रायपुर।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन नया रायपुर।
4. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नया रायपुर।
5. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, छत्तीसगढ़ नया रायपुर।
6. संचालक, राज्य जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन छ.ग., रायपुर।
7. मुख्य अभियंता, (सिविल) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परिक्षेत्र, रायपुर, जगदलपुर, बिलासपुर।
8. सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हाऊसिंग बोर्ड कालोनी कबीर नगर रायपुर।
9. अधीक्षण अभियंता, (सिविल) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परिक्षेत्र, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर।
10. कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड.....।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. आर्डर बुक।

TS/AS/GS/ES/MIS/TSC/CCDU/Audii

HOS/EE/SF-T/P/CE(MVE-IR-C

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

